न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 182/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना प्रागपुरा
   बनाम
   श्री रामावतार पुत्र श्री मालाराम निवासी द्वारिकापुरा थाना प्रागपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।
4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अभिभाषक श्री विपिन जैन अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना प्रागपुरा, जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.03.2012 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नारेडा से बुचारा की तरफ आ रही पिकअप नं. आरजे–32–जीए–3530 को रोका। जांच कार्यवाही के दौरान अवैध रुप से परिवहन किये जा रहे 11 प्लास्टिक के ड्रम मय 2200 लीटर डीजल को पिकअप के साथ जब्त किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 12.03.2012 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री विपिन जैन ने उपस्थिति दी। दिनांक 12.03.2012 को अप्रार्थी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 16.03.2012 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 12.03.2012 को जब्त डीजल का अप्रार्थी द्वारा अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया किया जा रहा था। परिवहन हेतु पिकअप का उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया तथा वाहन चालक से मौके पर पूछा तो बताया कि वो यह डीजल हरियाणा से लाकर यहां लोगों को उंचे दामों पर बेच देता है। इससे अवैध कारोबार की पुष्टि होती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त डीजल के बिल नहीं दिये तथा डीजल की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 में किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के एक समय पर उसके पास अधिसूचित सीमा यथा 1000 लीटर से अधिक डीजल की मात्रा का स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत किसी भी समय भण्डारण करने और कब्जे में रखने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है तथा बिना अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल व डीजल का बेचान प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 11 प्लास्टिक के ड्रम मय 2200 लीटर डीजल एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर आरजे–32–जीए–3530 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर